पत्र संख्या–कारा / भवन–107 / 2007......1288

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

राजीव वर्मा,
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0),
गृह विभाग (कारा)।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–21... / ....3 / 2017

विषयः– **राज्य योजना वित्तीय वर्ष–2016–17 अन्तर्गत राज्य की 03 उपकाराओं यथा उपकारा, उदाकिशुनगंज, बगहा एवं वीरपुर में नए डीजल जेनरेटर के क्रय तथा उपकारा, रोसड़ा में डीजल जेनरेटर के मरम्मति हेतु ₹8,37,000 (आठ लाख सैंतीस हजार रूपये मात्र) की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना वित्तीय वर्ष–2016–17 अन्तर्गत राज्य की 03 उपकाराओं यथा उपकारा, उदाकिशुनगंज, बगहा एवं वीरपुर में नए डीजल जेनरेटर के क्रय तथा उपकारा, रोसड़ा में डीजल जेनरेटर के मरम्मति हेतु ₹8,37,000 (आठ लाख सैंतीस हजार रूपये मात्र) की लागत पर, वित्त विभाग के संकल्प पत्र संख्या–96वि0(2) दिनांक–03.01.2008 की कंडिका 4(क) के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत दी जाती है :–

क्र	कारा का नाम	राशि	अभ्युक्ति
1	उपकारा, उदाकिशुनगंज	265000	नए डीजल जेनरेटर के क्रय हेतु
2	उपकारा, बगहा	265000	
3	उपकारा, वीरपुर	265000	
4	उपकारा, रोसड़ा	42000	डीजल जेनरेटर के मरम्मति हेतु
	कुल	**837000**	**आठ लाख सैंतीस हजार रूपये मात्र।**

2. उपरोक्त स्वीकृति राज्य योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–052–मशीनरी तथा उपस्कर, मांग संख्या–22, उपशीर्ष–0101–काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड–P4070000520101 के अंतर्गत विषय शीर्ष–52 01–मशीनें एवं उपस्कर मद के अधीन दी गई है।

3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित काराधीक्षक होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार की जाएगी।

4. संबंधित अधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि वे बिहार वित्त नियमावली–2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपरोक्त सामग्रियों का क्रय एवं अधिष्ठापन सुनिश्चित करेंगे।

5. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा संचिका संख्या–कारा/भवन–107/2007 के पृ0–30/टि० पर दिनांक–18.03.2017 को अनुमोदन दिया गया है।

6. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–कारा/भवन–107/2007 के पृ0–31/टि0 पर दिनांक–21.03.2017 को प्राप्त है।

7. योजना को ससमय कार्यान्वित कराने का दायित्व संबंधित काराधीक्षकों का होगा, जो योजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराकर प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार को प्रतिवेदित करेंगे।

विश्वासभाजन

21.3.17

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः– कारा/भवन–107/2007...1288 पटना, दिनांक–21./...3./2017

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अधीक्षक, उपकारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.3.17

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः– कारा/भवन–107/2007...1288 पटना, दिनांक–21./...3./2017

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.3.17

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)